न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 303/2013 दायरा दिनांक 04.03.2013

GCMS CASE NO- 2013/00589

गिरधारी पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़

(अपीलांट)

बनाम

1. भीमसैन पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
2. लालचन्द पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
3. दलीप कुमार हनुमान जाति कुम्हार निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
4. चुन्नी पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

(रेस्पोडेन्टस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं0 1 ता 4
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः– 16.01.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जैर अपील भूमि चक रोही भोजेवाला का खसरा न. 63 में 26 बीघा अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र भूराराम को टीसी आवंटन हुई जिसका नवीनीकरण होता रहा है। अपीलांट के पिता हनुमान के देहान्त होने के बाद अपीलांट गिरधारी, भीमसैन, लालचन्द, चुनीराम, दलीपकुमार पिसरान हनुमान के नाम से उक्त भूमि दर्ज हुई व कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 28.9.2007 को जैर भूमि पुख्ता आवंटन हुई। पुख्ता आवंटन के समय अपीलांट का नाम अंकित नहीं किया और ना ही नाम छोडने का कोई कारण अंकित किया गया। पुख्ता आवंटन के समय राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमि डी कॉलोनी होने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ के नियम 1970 लागू हो गये तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 25.7.2008 को जैर अपील रोही खसरा न. 63 में 3.036 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार दे दिये गये। उक्त खातेदारी अधिकारी जारी करते समय ना तो रिकार्ड का अवलोकन किया गया व नही समस्त पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया। उक्त निर्णय अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 28.7.2008 खारिज किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार नहीं थीं। चूंकि प्रकरण खातेदारी प्रकरण का था जिसमे मुझ अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। खातेदारी भूमि अपीलांट के पिता स्व. हनुमान पुत्र भूराराम को टीसी आवंटन थी जिसकी मृत्योपरांत अपीलांट का भी उक्त भूमि में हक व हिस्सा निहित है। अपीलांट जैर अपील आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर निवेदन किया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पूर्व में पुख्ता आवंटन के पारित आदेश में अपीलांट पक्षकार नहीं था, क्योंकि टीसी से पुख्ता आवंटन के समय स्वयं अपीलांट के द्वारा अपने अधिकारों का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से कर दिया गया था। अपीलांट अब हितबद्व व आवश्यक पक्षकार नही बनता है। अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006 (2) पेज न. 860, आरआरडी 1989 पेज न. 292 की ओर ध्यान दिलाया।

5. पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की।

6. हस्तगत पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांटगण अपीलाधीन कृषि भूमि के मूल टीसी आवंटी हुनमान का विधिक वारिस है जो आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना समस्त तथ्यों की जांच करवाये बिना तथा वारिसान की जांच करवाये बिना आदेश पारित किया हैं। अपीलांट को पटवारी हल्का के मार्फत उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 20.3.2013 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (23) 2016 पेज 408, आरबीजे (13) 2006 पेज 796,आरबीजे (22)2015 पेज 559 की ओर ध्यान दिलाया।

8. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर कथन किया कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेंट के पिता के स्वर्ग सिधारने के पश्चात आज तक मौका पर कब्जा रेस्पोडेंट का ही चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बारे में भी अपीलांट को पूर्ण रूप से जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर 4 वर्ष 7 माह पश्चात अपनी यह अपील न्यायालय से सही तथ्य छुपाते हुए जानकारी ना होने का तथ्य झूठा अंकित कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के साथ पेश की गई है। जिसका जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर शपथ पत्र द्वारा रेस्पोडेंट ने खण्डन किया है। अपीलांट ने स्पष्ट रूप से अपनी यह अपील मियाद बाहर व देरी से पेश की है जो स्वीकार योग्य नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आआरटी 2016 (पार्ट–II) पेज 1381 की ओर ध्यान दिलाया।

9. पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही काऊंटर शपथ पत्र पेश किया तथ ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की।

10. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है यह उचित व सद्भाविक प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी भलिभांती चस्पा होते है। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता हनुमान पुत्र भूराराम को रोही भोजेवाला के खसरा नं. 63 में 26–00 बीघा भूमि आरजी काश्त एक साला आवंटन हुई। अपीलांट के पिता के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं.1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आने की रिपोर्ट की नवीनीकरण आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ से दिनांक 25.03.2006 से अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के नाम हुआ। बरवक्त पुख्ता आवंटन रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 ने अपीलांट को धोखे में रखकर व अपीलांट का झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 ने प्रस्तुत किया व उन्हीं को यह भूमि आवंटन हुई जबकि हनुमान मूल काश्तकार के पांच पुत्र अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 को सभी को पुख्ता आवंटन बहिस्सा बराबर होनी चाहिये थी। कथित शपथ–पत्र अन्य वारिस बहिनों का भी प्रस्तुत किया गया जिनमें दो बहिने धापी व माना देवी नाबालिग थी, जो शपथ–पत्र देने हेतु अधिकारिक नहीं थी। आवंटन अधिकारी के समक्ष भी अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही की गई तथा ना ही कोई बयान लिये गये, जो आवंटन अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त पुख्ता आवंटन में ओदश प्रिन्टेड फार्म पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। पूर्व पुख्ता आवंटन को ही आधार मानकर माननीय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा बिना जांच बिना प्रार्थी को सुने प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.07.2008 को रोही भोजेवाला के खसरा नं. 63 के 3.036 हैक्टयर बारानी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 को प्रदान की है जो कि क्षेत्राधिकारविहीन मनमाने तरीके से प्रदान की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि में कभी अपने अधिकार नहीं छोड़े। इस प्रकार मूल काश्तकार हनुमान के वारिस होने से प्रश्नगत भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्सा का हक बनता है इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 28.07.2008 निरस्त किया जावे।

12. वकील रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 ने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा विधि अनुरुप आरजी काश्त भूमिधारियों से प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये गये जिसकी पालना में मात्र रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 द्वारा ही पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये व उनकी जांच की जाकर आवंटन सलाहकार समिति की राय अनुसार विधि अनुसार रोही भोजेवाला की खसरा नं. 63 की 3.036 हैक्टयर भूमि हनुमान की आरजी काश्त मानते हुए उनकी मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रों को दिनांक 28.09.2007 को पुख्ता आवंटन की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन पत्रावली में स्वयं हक त्याग करने का शपथ–पत्र आवंटन अधिकारी को प्रस्तुत किया। आदेश पुख्ता आवंटन दिनांक 28.09.2007 को आज तक चुनौती नहीं दी गई इसलिये वह अन्तिम हो चुका है। इसलिए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर निरस्त योग्य है।

13. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि उक्त जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जिस पर दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है। अपीलांट के पिता के देहान्त दिनांक 20.12.1992 के पश्चात उक्त जैर वाद रकबा का नवीनीकरण आदेश दिनांक 25.03.2006 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के नाम से नवीनीकरण करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिये जा चुके है। इस प्रकार अपीलांट के हक अधिकार उक्त जैरवाद रकबा में निहित हो चुके है। पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि अपीलांट के अधिकारों के हक त्याग के बारे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी सुनवाई नहीं की गई तथा शपथ पत्र के अवलोकन से भी पूर्ण रूप से यह स्पष्ट कि अपीलांट द्वारा ना लेकर रेस्पोडेंट द्वारा लेकर अपने पक्ष में प्रस्तुत करवाये गये है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्रों का पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए अपने अधिकार ... की गई है तथा कानून के प्रावधानों के मुताबिक जब तक किसी व्यक्ति के पास पूर्ण रूप ... अधिकार ... खातेदारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार के अधिकारों का स्थानांतरण नहीं किया जा ... । इसलिए अपीलां अपीलांट हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2008 निरस्त किया जाता है उक्त आदेश के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 322 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 21.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner